न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –10/2017 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2017/00022

देवी शंकर आत्मज श्री लटूरलाल जाति लश्करी, निवासी ग्राम परलिया की झौंपडिया तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

1. रामकरण आत्मज श्री श्योबख्श, जाति लश्करी, निवासी ग्राम परलिया की झौंपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. तहसीलदार लाडपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 06.12.2016 न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा बउनवान रामकरण बनाम देवीशंकर कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0ए0

उपस्थितः–

1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट
2. **पेरोकार सरकार**

निर्णय

दिनांक– 07.10.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील लाडपुरा जिला कोटा ने प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण रामकरण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0ए0 के सम्बन्ध में अपने प्रकरण उनवान रामकरण बनाम देवीशंकर में दिनांक 06.12.2016 को निर्णय पारित किया है कि "प्रकरण की सम्पूर्ण परिस्थितियों का अध्ययन कर आदेश दिए जाते है कि खसरा नम्बर 85,87,73,74 की सिवायचक भूमियों से अतिक्रमियों को बेदखल कर सिवायचक भूमि को वास्तविक रूप से कब्जे में लिया जाए तथा दोनों ओर से रास्तों का चालू करवाया जाए। वर्तमान में रास्तों से अतिक्रमण हटाने का अभियान राज्य सरकार के निर्देशानुसार चालू है । अतः अभियान के तहत निर्धारित तिथि को उक्त अतिक्रमण हटाकर रास्तों को बहाल करवाने हेतु निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार लाडपुरा, आई एल आर अरण्डखेडा व पटवारी हल्का अरलिया जागीर को प्रेषित की जावें ।"

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के उक्त आदेश के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.01.2017 को अन्दर मियाद पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने यह भली भांति साबित कर दिया था कि खसरा नम्बर 87 व 85 की सरकारी भूमि राजकीय विद्यालय को आवंटित की जाकर उस पर स्कूल बन चुका है और स्कूल की बाउण्ड्रीवाल हो रही है । जिस पर से होकर रेस्पोडेन्ट को कोई भी रास्ता नहीं दिया जा सकता फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजकीय विद्यालय की भूमि में से होकर रास्ता देने व रास्ते के बहाने रेस्पोडेन्ट को अपीलांट के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि में व्यवधान उत्पन्न करने में छूट देने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, नोटिस बाद तामिल प्राप्त किन्तु बावजूद सूचना के रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि मौका रिपोर्ट व ग्रामवासियान के बयानात से यह स्पष्ट था कि रेस्पोडेन्ट अपनी आराजी खसरा नम्बर 73 व 74 से श्मशान की भूमि में से होकर पहुंचता है और स्वयं रेस्पोडेन्ट ने खसरा नम्बर 73 व 74 की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अपने ही रास्ते को अवरूद्व कर रखा है । रेस्पोडेन्ट द्वारा तो मात्र रंजिशवश अपीलांट की कृषि आराजी खसरा नम्बर 86 में जबरदस्ती रास्ता बनाने के दुराशय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जब रेस्पोडेन्ट के पास पूर्व में ही वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो उसे किसी प्रकार का रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित करने में गम्भीर कानूनी त्रुटि की है । ग्रामवासियान की साक्ष्य व मौका रिपोर्ट से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति साबित था कि रेस्पोडेन्ट स्वयं अतिक्रमी है और रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट की कृषि आराजी खसरा नम्बर 70 की भूमि पर पहुंचने के अपीलांट के खसरा नम्बर 73 व 74 में से होकर जाने वाले रास्ते अतिक्रमण कर अवरूद्व कर रखा है और एक अतिक्रमी को अपीलांट के विरूद्व कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । अतःअपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 6.12.2016 को निरस्त फरमाया जावे और अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावें कि वह रेस्पोडेन्ट द्वारा खसरा नम्बर 73 व 74 वाके ग्राम परलिया की सिवायचक भूमि में किये गये अतिक्रमण को हटाकर आने जाने का रास्ता खुलासा करें ।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर मौका स्थिति की जांच करने एवं समस्त पक्षकारान के बयानों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण रास्ते में अवरोध का ना होकर व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता व सिवायचक भूमि पर अपना कब्जा बनाए रखने तथा अपने कब्जे की भूमि में से अन्य काश्तकारों को ना निकलने देने से सम्बन्धित होने से खसरा नम्बर 85,87,73,74 की सिवायचक भूमियों से अतिक्रमियों को बेदखल कर सिवायचक भूमि को वास्तविक रूप से कब्जे में लेने एवं रास्तों को चालू करवाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये है, जिसमें किसी भी खातेदार का कोई अहित नहीं हो रहा है । अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील तहसील लाडपुरा जिला कोटा ने प्रार्थी रेस्पोडेन्टगण रामकरण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0ए0 के सम्बन्ध में अपने प्रकरण उनवान रामकरण बनाम देवीशंकर में दिनांक 06.12.2016 को पारित निर्णय के विरूद्व दिनांक 4.1.2017 को अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है । उभयपक्ष की बहस से हम यह पाते है कि खसरा नम्बर 85,87,73,74 की सिवायचक भूमियों पर समीपवर्ती खातेदार किसानों द्वारा अतिक्रमण किया जाने से आम रास्ता अवरूद्व हो जाने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त सिवायचक भूमियों से अतिक्रमियों को बेदखल कर सिवायचक भूमि को वास्तविक रूप से कब्जे में लिया जाए तथा दोनों ओर से रास्तों का चालू करवाया जाने के आदेश दिये है जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । अपीलांट की अपील में मुख्य प्रार्थना भी खसरा नम्बर 73 व 74 ग्राम परलिया की सिवायचक भूमि में किये गये अतिक्रमण को हटाकर रास्ता खुलासा कराने की है जो तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.12.2016 से पूर्व में ही आदेश जारी किये हुए है । अपील सारहीन प्रतीत होती है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने एवं अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 06.12.2016 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ0 रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा